भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1355

(जिसका उत्तर सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

वित्त मंत्रियों की बैठक

† 1355. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्य वित्त मंत्रियों की वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी जी॰एस॰टी॰ परिषद्, जी॰एस॰टी॰ के क्रियान्वयन से राज्यों को हो रही समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जी॰एस॰टी॰ परिषद् राज्यों से एजेंडा का परामर्श किए बिना बैठक का एक तरफा एजेंडा निर्धारित कर रही है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्यों की समस्याओं पर विचार करने के लिए जी॰एस॰टी॰ परिषद् को परामर्श देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क): जी हां। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 21.06.2019 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) तथा (ग): जी नहीं। केन्द्र और राज्यों से संबंधित सभी मामलों पर जीएसटी परिषद की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या ऐसा कोई मंत्री जिसको राज्य सरकार नामित करे, इसके सदस्य होते हैं।

(घ) तथा (ङ): जी नहीं। जीएसटी परिषद की कार्यसूची को विविध स्टेक होल्डरों से प्राप्त इनपुट्स, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव भी शामिल होते हैं, के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी कार्यसूची विधि समिति, फिटमेंट कमेटी जैसी विभिन्न समितियों और मंत्रीदल, जिसका गठन विशेष उद्देश्य के लिए जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है और जिसमे केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी सदस्य होती है, की सिफारिशों पर भी आधारित होती है।

*****